ट्रांसपोर्ट नगर योजना, ज्वालापुर–हरिद्वार

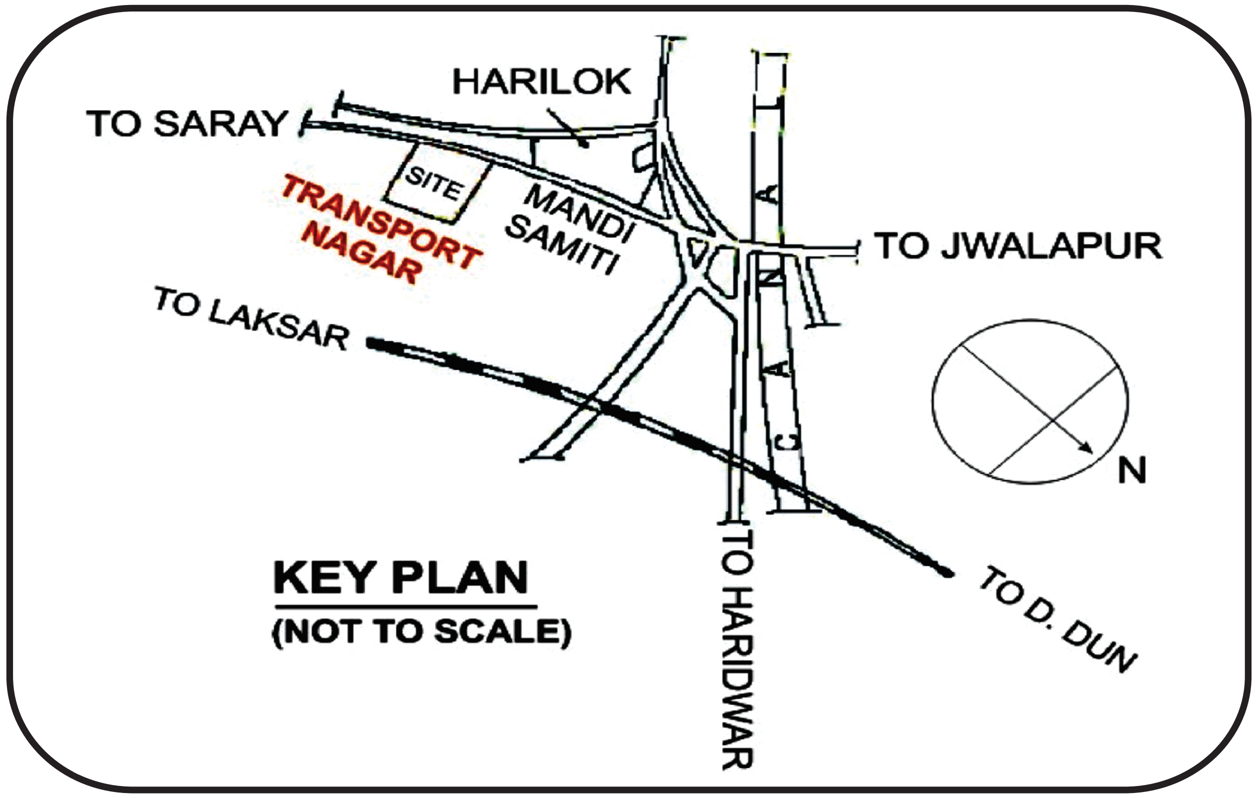

पंजीकरण पुस्तिका मूल्य :
590.00 (कर सहित)

ट्रांसपोर्ट नगर योजना, ज्वालापुर–हरिद्वार के अन्तर्गत

ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत भूखंडों की नीलामी/निविदा सह नीलामी हेतु आवेदन पत्र

हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार

हर माह आंवटन

नीलामी/निविदा सह नीलामी की तिथि :

अन्तिम तिथि 31 मार्च 2025 तक

ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत रिक्त सम्पत्तियों की मुहरबन्द निविदा–सह नीलामी :–

1 विभिन्न व्यवसायिक भूखण्डों हेतु निविदा–सह नीलामीः–

1.1 प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर योजना में रिक्त व्यवसायिक भूखण्डों के आवंटन हेतु मुहरबन्द निविदा–सह नीलामी हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा प्रारूप परिशिष्ट–2ब, नीलामी प्रारूप–2(अ) पर संलग्न है।

1.2 मुहरबन्ध निविदायें दिनांक प्रत्येक माह की 27 तारीख तक अपरान्ह 01.00 बजे तक पंजीकृत डाक से प्राप्त की जाएगी। उसके उपरान्त प्राप्त निविदायें स्वीकार्य नहीं होगी।

1.3 निविदायें परिसम्पत्ति की बोली छूटने के उपरान्त खोली जाएगी। नीलामी बोली दिनांक – प्रत्येक माह की 30 तारीख को पूर्वान्ह–11:30 बजे से प्रारम्भ होगी। तत्पश्चात उच्चतम् बोली एवं निविदा में प्राप्त दर का तुलनात्मक विवरण तैयार किये जाएंगे। तदोपरांत ही नीलामी की घोषणा की जाएगी।

1.4 निविदा अथवा बोली में से जिसका उच्चतम मूल्य होगा। उसे भूखण्ड आवंटन पर विचार किया जाएगा।

नोटः– नियत तिथि पर अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्यालय दिवस में कार्यवाही की जायेगी।

2. मोहरबन्द निविदा सह नीलामी हेतु पात्रता :

2.1 बोलीदाता, निविदादाता भारत का नागरिक होना चाहिए।

2.2 बोलीदाता निविदादाता निविदा एवं बोली की तिथि को व्यस्क होना चाहिए।

2.3 निविदादाता/बोलीदाता यदि आरक्षित श्रेणी के भवन, भूखण्ड हेतु निविदा/बोली में प्रतिभाग किया जा रहा है तो ऐसी दशा में तहसीलदार/जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट अथवा सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय से जारी आरक्षण जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना/देना होगा।

3. आरक्षण :

3.1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश 1286 दिनांक 26.07.2006 के अनुक्रम में निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार सम्पत्तियों को आरक्षित कर दिया गया है। तद्नुसार आरक्षित श्रेणी की रिक्त व्यवसायिक एवं आवासीय सम्पतियों के लिए उसी आरक्षण वर्ग का व्यक्ति निविदा/बोली हेतु पात्र होगा।

3.2 प्राधिकरण की बोर्ड बैठक के निर्णयानुसार अनुसूचित श्रेणी के भूखण्डों को आरक्षित रखते हुए शेष भूखण्डों को सामान्य श्रेणी के आवेदकों के मध्य आवंटित किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी, यदि अन्य आरक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा आवेदन किया जाता है तो उन्हें आवंटन में वरीयता प्रदान की जायेगी।

नोट :–

1. उक्त आरक्षण केवल उत्तराखण्ड राज्य के लिए ही मान्य होगा। उत्तराखण्ड राज्य के जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार स्तर से जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के मामलों में प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना न हो।
2. फर्म के रूप में पंजीकरण आवेदक को सामान्य वर्ग में ही सम्मिलित किया जाएगा।

नियम व शर्त :

4.1 व्यवसायिक सम्पत्तियों का भूखण्ड क्षेत्रफल का सुपर एरिया / कवर्ड क्षेत्रफल, आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि एवं विवरण परिशिष्ट–1 (ए) पर उपलब्ध है।

4.2 व्यवसायिक भूखण्ड हेतु इच्छुक पात्र व्यक्ति / फर्म मोहरबन्द निविदा सह–नीलामी दे सकता है।

4.3 मोहरबन्द निविदा सह नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए तथा विधिक रूप से निविदा योग्य होना चाहिए।

4.4 मोहरबन्द निविदा नियत तिथि एवं समयावधि के दौरान हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण में पंजीकृत डाक से प्राप्त की जाएगी। सीधे निविदा प्राप्त नहीं की जाएगी।

4.5 प्राप्त मोहरबन्ध निविदा निम्नांकित अनुसार स्वीकार योग्य होगी :

(अ) निविदा प्रारूप स्वच्छ एवं पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। अपूर्ण निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी।

(ब) निविदा प्रारूप के साथ हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण के पक्ष में धरोहर राशि का ड्राफ्ट जो हरिद्वार में भुगतान योग्य हो संलग्न होना चाहिए बिना धरोहर राशि की निविदा स्वीकार नहीं होगी।

(स) बोलीदाता अपने आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए बोली स्थल पर एक घंटा पूर्व तक अपना आवेदन पंजीकृत करा सकते हैं।

(द) निविदा बोली स्थल पर उस तिथि में निविदादाता, बोलीदाता एक अतिरिक्त व्यक्ति अपने साथ निविदा / बोली स्थल पर ला सकेगा।

4.6 हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनकी ओर से नामित अधिकारी को नीलामी की जा रही सम्पत्ति को हटाने का अधिकार होगा।

4.7 एक बार बोली बोलने के पश्चात उसे वापिस नहीं किया जा सकेगा।

4.8 नीलामी समाप्त होने के पश्चात मोहर बन्द निविदायें खोली जाएगी। मोहर बन्द निविदादाताओं अथवा बोलीदाताओं में से जिसकी भी दर उच्चतम होगी, उसे सम्पत्ति आवंटित की जाएगी। उच्चतम् बोलीदाता / निविदादाता को 15 दिन के अन्दर नीलामी मूल्य का 15 प्रतिशत आवंटन राशि के रूप में प्राधिकरण कोष में जमा करानी आवश्यक होगी। आंवटन राशि जमा न कराये जाने वाले व्यक्ति की निविदा, नीलामी निरस्त समझी जाएगी तथा पंजीकरण धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

4.8(अ)बोलीदाता / निविदादाता द्वारा आवंटन के पश्चात यदि सम्पत्ति के सापेक्ष धनराशि जमा करने के उपरांत आवंटन निरस्त करने हेतु आवेदन किया जाता है अथवा आवंटन नियमावली में उल्लेखित प्राविधानों में उल्लंघन पाये जाने की दशा में आवंटन निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में जमा धरोहर राशि को जब्त करने के साथ–साथ अन्य जमा धनराशि से 10 प्रतिशत की कटौती उपरांत शेष धनराशि वापस कर दी जाएगी।

4.9 नीलामी कराने वाले अधिकारी नीलामी समाप्त होने, मोहरबन्द निविदा खोलने तथा प्रस्तर 4.8 में वर्णित धनराशि जमा कराने के उपरान्त अपनी लिखित आख्या, उपाध्यक्ष हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगे। उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को निविदा एवं बोली

को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा। वह उच्चतम निविदा अथवा बोली को भी बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं। उपाध्यक्ष का निर्णय सभी पक्षी को मान्य होगा।

4.10 क्रमांक 4.8 में वर्णित धनराशि जमा हो जाने के उपरान्त आवंटन पत्र जारी किया जाएगा। शेष धनराशि परिशिष्ट–2 (अ) व 2 (ब) (जो लागू हो) में दिये गये विकल्प के अनुसार भुगतान करनी होगी। (परिशिष्ट– 1 ए में संलग्न सम्पत्ति विवरण के साथ देखें)

4.11 व्यवसायिक सम्पतियों के लिए एक से अधिक निविदा दी जा सकेगी अथवा बोली लगायी जा सकेगी।

4.12 एक मुश्त भुगतान का विकल्प चुनने पर सम्पत्ति के निविदा / बोली मूल्य की शेष धनराशि (धरोहर राशि + आवंटन राशि का समायोजन) का भुगतान निविदा / बोली की तिथि से 3 माह के अन्दर करना होगा। किस्त भुगतान का विकल्प चुनने पर शेष धनराशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ परिशिष्ट–1ए में 07 वर्ष की किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान की जायेगी।

4.13 प्रश्नगत सम्पत्ति जिसके लिए उच्चतम निविदादाता / बोलीदाता के अतिरिक्त उच्चतम बोली मूल्य से निम्न बोलीदाताओं की धरोहर राशि 2 माह तक प्राधिकरण में जमा रखी जाएगी। उच्चतम निविदादाता / बोलीदाता के आवंटन धनराशि जमा न करने की दशा में उच्चतम क्रम से न्यूनतम क्रम में क्रमश आवंटन का ऑफर दिया जाएगा। तदोपरान्त ही परिस्थिति अनुसार प्रश्नगत दोनों निविदादाता / बोलीदाता की धनराशि की वापसी का निर्णय लिया जाएगा।

4.14 आवंटित सम्पत्ति कार्नर पार्क फेसिंग तथा 18 मीटर चौड़ी अथवा अधिक चौड़ी सड़क पर होने की दशा में परिस्थिति नियमानुसार भूखण्ड मूल्य पर कार्नर चार्ज 10% पार्क फेसिंग चार्ज 5% प्रतिशत तथा 18 मीटर अथवा अधिक चौड़ी सड़क होने पर 10% अतिक्ति लोकेशन चार्ज देय होगा। उक्त शुल्क कब्जा हस्तातरण से पूर्व जमा करना होगा।

4.15 आवंटित सम्पत्ति के भूखण्ड मूल्य का 12% फ्री होल्ड शुल्क देय होगा।

4.16 परिसम्पत्ति का आवंटन जहाँ है जैसा है के आधार पर किया जाएगा।

4.17 भूखण्ड के मामले में यह पाया जाता है कि परिशिष्ट–1ए में अंकित क्षेत्रफल से अधिक या कम क्षेत्रफल है तो ऐसी दशा में बोली के मूल्य पर आगणित प्रति वर्गमीटर की दर से अधिक या कम क्षेत्रफल का मूल्यांकन किया जाएगा। ऐसी दशा में अधिक मूल्य पर अन्य शुल्क सहित गणना की जाएगी जिसका भुगतान आवटी को करना होगा तथा कम क्षेत्रफल की दशा में आगणित धनराशि का भुगतान आंवटी को कर दिया जाएगा अथवा उसका समायोजन कर दिया जाएगा।

4.18 परिसम्पत्ति की बकाया धनराशि बिलम्ब से जमा करने पर 15% वार्षिक दर से विलम्ब अवधि का व्याज अदा करने पर धनराशि जमा करने की अनुमति होगी। परन्तु यह अनुमति केवल 3 माह तक के बिलम्ब के लिए अनुमन्य होगी धनराशि में 3 माह से अधिक बिलम्ब होने की दशा में प्राधिकरण को बिना नोटिस निर्गत किये आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

4.19 यदि किसी कारणवश सम्पत्ति के आवंटन में कोई विधिक अड़चन आती है तो ऐसी दशा में जमा धनराशि पर वापसी की तिथि तक साधारण ब्याज देकर बोली / निविदा निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण में सुरक्षित रहेगा।

4.20 किसी विवाद या शंका के सम्बन्ध में या उपरोक्त नियम व शर्तों के स्पष्टीकरण के विषय में

उपाध्यक्ष हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा।

5. कब्जाः–

5.1 नगद भुगतान के विकल्प के अन्तर्गत आवंटित सम्पति का कब्जा, सम्पत्ति का पूर्ण भुगतान तथा लोकेशन चार्ज एवं फ्री होल्ड जमा कराने के उपरान्त दिया जाएगा। कब्जा हस्तातरण से पूर्व लेन–देन धनराशि पर नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान करते हुए निर्धारित प्रारूप पर विक्रय विलेख/लीजडीड का निष्पादन कराना होगा।

5.2 किश्त भुगतान के विकल्प के अन्तर्गत आवंटित सम्पत्ति का कब्जा बकाया किश्तों की धनराशि के अनुबन्ध उपरान्त दिया जाएगा। अनुबन्ध के अनुसार किस्तों की धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा न करने पर प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह पुनः कब्जा प्राप्त कर ले तथा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 40 के अधीन आवश्यक हानि की वसूली भी आंवटी से कर ले अथवा निर्धारित ब्याज की वसूली कर व्यवहारिक समय प्रदान करें।

6. आवंटित सम्पत्ति का उपयोगः–

6.1 सम्पत्ति जिस उपयोग के लिए है उसके लिए आवंटित किया जाएगा। भविष्य में उसका प्रयोग उसी के उपयोग में लिया जाएगा जिस उपयोग हेतु आवंटित किया गया है।

6.2 उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम–1973 के अन्तर्गत भाासन द्वारा प्रचलित उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार भूखण्ड का मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण किया जायेगा तथा निर्धारित औपचारिकताऐं पूर्ण करने पर भवन को उपयोग में लाया जायेगा। उल्लघंन की दशा में प्राधिकरण को वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

7. करों एवं सर्विस टैक्स का भुगतानः–

7.1 आवंटित सम्पत्ति के सर्विस टैक्स/टी0डी0एस0 आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।

7.2 सम्पत्ति आवंटन के उपरांत अनुरक्षण, गृह, सीवर आदि करों/शुल्कों का भुगतान आवंटी को करना होगा।

7.3 यदि प्राधिकरण को निर्माण कार्य पर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग को सर्विस टैक्स/लेवी/डिक्री आदि के रूप में कोई भुगतान करना पड़ता है तो उस दशा में भुगतान की गयी धनराशि को आवंटियों से समानुपातिक रूप से वसूल किया जायेगा।

7.4 उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण को उक्त नियमों/शर्तों में सशोधन एवं परिर्वतन करने का अधिकार होगा तथा संशोधन/परिवर्तन सभी पक्षों को बाध्यकारी होगा।

7.5 किसी भी वाद/विवाद की दशा में न्यायिक क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय हरिद्वार को होगा।

उपाध्यक्ष
हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार

सम्पत्ति का विवरण

ट्रांसपोर्ट नगर योजना — परिशिष्ट–1ए

<table>
<tr><th>क्र0स0</th><th>भूखण्ड की श्रेणी</th><th>क्षेत्रफल (वर्गमीटर) अनुमानित</th><th>भूखण्ड संख्या</th><th>आरक्षण का विवरण</th><th>भूखण्ड का न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रू0)</th><th>धरोहर राशि (रू0)</th></tr>
<tr><td rowspan="6">01</td><td rowspan="6">व्यवसायिक (साईट–01) (कुल भूखण्ड–06)</td><td>791.77</td><td>सी–01–01</td><td>अनुसूचित जाति (पुरूष)</td><td>32338262.00</td><td>3233826.00</td></tr>
<tr><td>777.79</td><td>सी–01–1(ए)</td><td>(अन्य पिछड़ा वर्ग)</td><td>31767277.00</td><td>3176728.00</td></tr>
<tr><td>1011.00</td><td>सी–01–02</td><td>सामान्य(सिनियर सिटिजन)</td><td>41292273.00</td><td>4129227.00</td></tr>
<tr><td>674.00</td><td>सी–01–03</td><td>सामान्य</td><td>27528182.00</td><td>2752818.00</td></tr>
<tr><td>674.00</td><td>सी–01–04</td><td>सामान्य (महिला)</td><td>27528182.00</td><td>2752818.00</td></tr>
<tr><td>534.00</td><td>सी–01–5ए</td><td>सामान्य</td><td>21810162.00</td><td>2181016.00</td></tr>
<tr><td rowspan="7">02</td><td rowspan="7">व्यवसायिक (साईट–02) (कुल भूखण्ड–07)</td><td>149.25</td><td>सी–02–01</td><td>सामान्य(महिला)</td><td>6095818.00</td><td>609582.00</td></tr>
<tr><td>117.52</td><td>सी–02–02</td><td>सामान्य</td><td>4799869.00</td><td>479987.00</td></tr>
<tr><td>117.52</td><td>सी–02–03</td><td>सामान्य</td><td>4799869.00</td><td>479987.00</td></tr>
<tr><td>117.52</td><td>सी–02–04</td><td>अनुसूचित जाति (पुरूष)</td><td>4799869.00</td><td>479987.00</td></tr>
<tr><td>162.32</td><td>सी–02–05</td><td>अन्य पिछड़ा वर्ग (पुरूष)</td><td>6629636.00</td><td>662964.00</td></tr>
<tr><td>116.70</td><td>सी–02–06</td><td>सामान्य</td><td>4766378.00</td><td>476638.00</td></tr>
<tr><td>93.51</td><td>सी–02–07</td><td>सामान्य</td><td>3819229.00</td><td>381923.00</td></tr>
<tr><td rowspan="9">03</td><td rowspan="9">व्यवसायिक (साईट–03) (कुल भूखण्ड–09)</td><td>99.96</td><td>सी–03–01</td><td>सामान्य</td><td>4082666.00</td><td>408267.00</td></tr>
<tr><td>93.37</td><td>सी–03–02</td><td>सामान्य</td><td>3813511.00</td><td>381351.00</td></tr>
<tr><td>127.12</td><td>सी–03–03</td><td>सामान्य (महिला)</td><td>5191962.00</td><td>519196.00</td></tr>
<tr><td>68.04</td><td>सी–03–04</td><td>(अन्य पिछड़ा वर्ग)</td><td>2778958.00</td><td>277896.00</td></tr>
<tr><td>68.04</td><td>सी–03–05</td><td>सामान्य</td><td>2778958.00</td><td>277896.00</td></tr>
<tr><td>68.04</td><td>सी–03–06</td><td>अनुसूचित जाति</td><td>2778958.00</td><td>277896.00</td></tr>
<tr><td>68.04</td><td>सी–03–07</td><td>अनुसूचित जाति (महिला)</td><td>2778958.00</td><td>277896.00</td></tr>
<tr><td>68.04</td><td>सी–03–08</td><td>अन्य पिछड़ा वर्ग</td><td>2778958.00</td><td>277896.00</td></tr>
<tr><td>98.15</td><td>सी–03–09</td><td>राज्य सरकार के कार्मिक एवं सुरक्षा सेवा के कार्मिक जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों</td><td>4008740.00</td><td>400874.00</td></tr>
<tr><td>04</td><td>व्यवसायिक (साईट–04)</td><td>25.00</td><td>सी–04–01 से सी–04–26 (कुल भूखण्ड–26)</td><td><table>
<tr><th>कैटेगरी</th><th>कु0रि0</th><th>म0</th><th>सि0सि</th><th>सामा0</th></tr>
<tr><td>SC</td><td>05</td><td>01</td><td>00</td><td>04</td></tr>
<tr><td>ST</td><td>01</td><td>00</td><td>00</td><td>01</td></tr>
<tr><td>OBC</td><td>04</td><td>01</td><td>00</td><td>03</td></tr>
<tr><td>MP</td><td>01</td><td>00</td><td>00</td><td>01</td></tr>
<tr><td>GT EMP</td><td>02</td><td>01</td><td>00</td><td>01</td></tr>
<tr><td>Press</td><td>01</td><td>00</td><td>00</td><td>01</td></tr>
<tr><td>GEN</td><td>12</td><td>04</td><td>01</td><td>07</td></tr>
</table></td><td>भूखण्ड का न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रू0
1021075.00</td><td>102108.00</td></tr>
</table>

हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार

सम्पत्ति का विवरण

ट्रांसपोर्ट नगर योजना — परिशिष्ट–1ए

ढाबा

क्र0स0	भूखण्ड की श्रेणी	क्षेत्रफल (वर्गमीटर) अनुमानित	भूखण्ड संख्या	आरक्षण का विवरण	भूखण्ड का न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रू0)	धरोहर राशि (रू0)
01	ढाबा	230.00	डी0एच0–01	सामान्य (महिला)	9393890.00	939389.00
		231.00	डी0एच0–03	अनुसूचित जाति	9434733.00	943473.00
		230.75	डी0एच0–04	सामान्य	9424522.00	942452.00

धर्मकांटा

क्र0स0	भूखण्ड की श्रेणी	क्षेत्रफल (वर्गमीटर) अनुमानित	भूखण्ड संख्या	आरक्षण का विवरण	भूखण्ड का न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रू0)	धरोहर राशि (रू0)
01	धर्मकांटा	910.00	डब्लू0बी0–02	सामान्य	37167130.00	3716713.00

गैस गौदाम

क्र0स0	भूखण्ड की श्रेणी	क्षेत्रफल (वर्गमीटर) अनुमानित	भूखण्ड संख्या	आरक्षण का विवरण	भूखण्ड का न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रू0)	धरोहर राशि (रू0)
01	गैस गौदाम	1778.48	जी0जी0–01	सामान्य	72638459.00	7263846.00

नोटः–

1. आवेदक को निविदा/बोली छूटने पर निविदा/नीलामी मूल्य की 15 प्रतिशत धनराशि आवंटन के रूप मे 15 दिन के अन्दर जमा कराना होगा। आवंटन धनराशि जमा न होने पर बोलीदाता/निविदादाता की निविदा/बोली निरस्त समझी जायेगी तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और भूखण्ड को द्वितीय उच्च निविदादाता/बोलीदाता के पक्ष में आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त भूखण्ड के नीलामी मूल्य का 12 प्रतिशत फ्री–होल्ड शुल्क अतिरिक्त देय है।
3. उक्त भूखण्ड के कॉर्नर भूखण्ड होने की दशा में 10 प्रतिशत, भूखण्ड के पार्क फेसिंग होने पर 5 प्रतिशत, भूखण्ड 18 मी0 चौड़ी सड़क अथवा अधिक चौड़ी सड़क होने की स्थिति का नीलामी मूल्य का 10 प्रतिशत अतिरक्त शुल्क देय है।
4. किश्त भुगतान के अन्तर्गत अनुरोधकर्ता को धरोहर राशि एवं आवंटन राशि का नीलामी मूल्य में समायोजन करने के पश्चात शेष राशि को सामान तिमाही किश्तों में 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 07 वर्ष किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान की जायेगी।
5. नगद भुगतान का विकल्प देने वाले आवेदक को धरोहर राशि एवं आवंटन राशि की धनराशि का समायोजन उपरांत शेष धनराशि आवंटन की तिथि से 90 दिन के अन्दर भुगतान करना होगा।
6. आवंटी/आवेदक को भूखण्ड का विक्रय पत्र/अनुबंध का निष्पादन एवं पंजीकरण अपने व्यय पर कराना होगा।

नीलामी में प्रतिभाग करने वाले व्यक्ति के लिए आवेदन पत्र

परिशिष्ट—2(अ)

1— नाम /फर्म का नाम ....

2— पिता / पति / फर्म के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम ....

3— पत्राचार का पता ....

4— स्थाई पता ....

....

5— मोबाईल नं0 / दूरभाष सं0 ....

6— योजना का नाम ....

7— भूखण्ड (जिसके लिए निविदा / नीलामी में प्रतिभाग करना है ....

....

8— आरक्षण श्रेणी ....आरक्षण प्रमाण पत्र की संख्या.....................दिनांक ....

प्रमाण पत्र जारी करने वाली प्राधिकारी का नाम व विभाग का नाम..

....

9— भूखण्ड की धरोहर राशि ....बैक ड्राफ्ट संख्या...

....

10—भूखण्ड की शेष धनराशि जमा कराने हेतु विकल्प (नकद भुगतान / किश्त भुगतान).........................

....

निविदा —सहनीलामी द्वारा भूखण्ड आवंटन किये जाने हेतु नियत तथा शर्ते पढ़ व समझ ली हैं। मैं नीलामी उपरांत उच्चतम बोली छूटने के उपरांत निर्धारित मूल्य की बकाया धनराशि भुगतान करने के लिए बाध्य हूँ। यदि उक्त मूल्य पर सम्पत्ति नही लेता हूँ तो मेरे द्वारा दी गयी धरोहर राशि को प्राधिकरण जब्त कर सकता है, इसमे मुझे कोई आपत्ति नही होगी। मै नीलामी में भाग लेने के पात्र आवेदक हूँ। मुझे निविदा—सहनीलामी की सभी नियम व शर्ते स्वीकार एवं मान्य है। यदि मेरे द्वारा किसी भी नियम तथा शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो आपके द्वारा नियमानुसार की गयी कार्यवाही से हम बाध्य होंगें।

दिनांक :

स्थान :

संलग्न— **बोलीदाता का हस्ताक्षर**

1—

2—

निविदा के लिए आवेदन पत्र

परिशिष्ट–2(ब)

1– नाम /फर्म का नाम ....

2– पिता/पति /फर्म के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम ....

....

3– पत्राचार का पता ....

....

4– स्थाई पता ....

....

5– मोबाईल नं0/दूरभाष सं0 ....

6– योजना का नाम ....

7– भूखण्ड (जिसके लिए निविदा दी जा रही है) ....

....

8– भूखण्ड का आरक्षित मूल्य ....

9– आरक्षण श्रेणी ....जाति प्रमाण पत्र की संख्या ....दिनांक.......................

प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम व विभाग का नाम ....

....

10–भूखण्ड की धरोहर राशि ....बैक ड्राफ्ट संख्या ....
बैंक का नाम ....दिनांक ....

11–निविदा की दर (जिस पर भूखण्ड क्रय करने के लिए सहमत है) रू0 ....

12–भूखण्ड का शेष धनराशि जमा कराने हेतु विकल्प (नकद भुगतान/किश्त भुगतान)...........................

....

निविदा–सहनीलामी द्वारा भूखण्ड आवंटन किये जाने हेतु नियत तथा शर्ते पढ़ व समझ ली है। मैं नीलामी उपरांत उच्चतम बोली छूटने के उपरांत निर्धारित मूल्य की बकाया धनराशि भुगतान करने के लिए बाध्य हूॅ। यदि उक्त मूल्य पर सम्पत्ति नही लेता हूॅ तो मेरे द्वारा दी गयी धरोहर राशि को प्राधिकरण जब्त कर सकता है, इसमे मुझे कोई आपत्ति नही होगी। मै नीलामी में भाग लेने के पात्र आवेदक हूॅ। मुझे निविदा–सहनीलामी की सभी नियम व शर्ते स्वीकार एवं मान्य है। यदि मेरे द्वारा किसी भी नियम तथा शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो आपके द्वारा नियमानुसार की गयी कार्यवाही से हम बाध्य होंगें।

दिनांक :

स्थान :

संलग्न– **निविदादाता का हस्ताक्षर**

1–

2–